TEN RUPEES

अध्यक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प

न्यायालय श्रीमान [redacted] महोदय , [redacted] ,भोपाल (म.प्र.)

PBR/निगरानी/बैतूल/भू.रा/2017/2409

पुनरीक्षण आवेदन पत्र (16) /2017

कमल किशोर आ0 श्री स्व. सुन्दर लाल झरबडे,
आयु वयस्क, निः- खिखलार ,तह0 जिला बैतूल
(म.प्र.) ------- पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

श्री नरेन्द्र सिंह चौहान को अधिवक्ता द्वारा 26.7.17 को प्रस्तुत किया
26.7.17

1. श्रीमति रेखा पुत्री स्व. श्री सुन्दरलाल झरबडे
पत्नी श्री (सत्यनारायण) आयु वयस्क, निवासी :-
ग्राम मौजा ,खिखलार, तह एवं जिला बैतूल

2. श्रीमति प्रियंका पुत्री स्व. श्री सुन्दर लाल झरबडे ,आयु वयस्क,
पत्नी श्री [illegible] निवासी :- ग्रामखिखलार,
तह0 एवं जिला बैतूल (म.प्र.)

3. श्रीमति मैना पत्नी स्व. श्री सुन्दरलाल झरबडे
आयु वयस्क, निवासी :- ग्राम खिखलार,
तह0 व जिला बैतूल (म.प्र.) ------------ अनावेदकगण

प्रकरण क्र 0084-अ-27-2016 आदेश दिनांक 20/7/17

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959

अधिनस्थ न्यायालय के आदेश का विवरण :-

अनावेदक क्रं 1 एवं 2 के द्वारा विचारण न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय बैतूल (म.प्र.) के समक्ष एक आवेदन पत्र वास्ते बटे नंम्बर कर आवेदिकागण से पैतृक कृषि भूमि एवं मकान में बंटवारा दिलाये जाने बाबत दिनांक 3.11.16 को प्रस्तुत किया था, साथ में वर्ष 2016-17 के खसरा खतौनी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किये थे । अनावेदक क्रं 1 एवं 2 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जानकारी ज्ञात होने पर पुनरीक्षण कर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 21.04.2017 को एक आपत्ति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 म.प्र. भू.रा.सं. प्रस्तुत किया तथा दिनांक 15.06.2017 को अनावेदक क्रं 1 एवं 2 की ओर से पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आवेदन पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 20.07.17 को माननीय विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण में फर्द बटान का प्रकाशन के लिये उक्त प्रकरण दिनांक 27.07.17 को नियत किया है । पुनरीक्षणकर्ता विचारण न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तह0 बैतूल के आदेश दिनांक 20.07.2017 से व्यथित होकर उक्त पुनरीक्षण आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR / निगरानी / बैतूल / भू.रा. / 2017 / 2409

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–8–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20–7–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उक्त आदेश से तहसीलदार द्वारा फर्द बटान का प्रकाशन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक को जो भी आपत्ति करना है, उसके सम्बन्ध में उसे विचारण न्यायालय के समक्ष ही अनुरोध करना चाहिए । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	